रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092021-229768
CG-DL-E-18092021-229768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3509]	नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 2021/भाद्र 27, 1943
No. 3509]	NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 2021/ BHADRA 27, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 सितम्बर, 2021

का.आ. 3821(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के वलसाड जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड़ फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप–कलेक्टर, वलसाड, द्वितीय तल, कलेक्टर ऑफिस, वलसाड, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रुप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वलसाड जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम – वलसाड

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / ब्लॉक संख्या	क्षेत्रफल हैक्टयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वलसाड	वलसाड	रोला	1056	0.0029
				49	0.0044
				1075	0.0018
				1078	0.0035
				1081	0.0056
				51	0.0170
			जेसपुर	824	0.0020

[फा. सं. 2021/एलएमएल–II/12/1/डब्ल्यू सी/2215]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2021

S.O. 3821(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of special Railway Project, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Valsad in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Deputy Collector, Valsad, Office of Deputy Collector, Second Floor, Collector Office, Valsad, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objection and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the Special Railway Projects, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Valsad in the State of Gujarat.

Name of the District- Valsad

Serial Number	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey/ Block Number	Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Valsad	Valsad	Rola	1056	0.0029
				49	0.0044
				1075	0.0018
				1078	0.0035
				1081	0.0056
				51	0.0170
			Jeshpore	824	0.0020

[F. No. 2021/LML-II/12/1/WC/2215]
A. K. SINHA, Executive Director, (L&A and SD)

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.18 17:26:22 +05'30'